[illegible] F.O. सा. बाजकर्य के [illegible] हैं [illegible] दि. 26/9/17 को पेश हो।

26/9/17 पत्रावली पेश हुई। F.O. सा. बाजकर्य के [illegible] हैं। गत आदेश की पालना में 24/11/17 को पेश हो।

16/1/18 पत्रावली आज पेश हुई। गैरसायल को वर्ष गिरफ्तारी वारंट तलब किया जाकर 13/3/18 को पेश हो।

276
9/4/18

7/5/18 पत्रावली आज पेश हुई। गैरसायल का वारंट बाद। अदम तामील रही लौटा। पुनः जारी किया जाकर 26/6/18 को पेश हो।

26/6/18 पत्रावली पेश हुई। गैरसायल का वारंट इस आशय की रिपोर्ट के साथ लौटा कि "अन्य प्रकरण में बारां जेल में है" चूंकि गैरसायल अन्य प्रकरण में बारां जेल में है तो उससे थाना क्षेत्र कोतवाली बारां में शांति भंग होने की संभावना नहीं है। अतः गैरसायल के विरुद्ध दण्डगत प्रकरण स्थगित किया जाता है भविष्य में गैरसायल से शांति भंग होना सम्भावित हो तो पुनः प्रकरण तैयार कर पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर को बाद तामील अभिलेख भंडार में दाखिल हो।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बारां
थाना कोतवाली, बारां